बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 14950 पटना, दिनांक:- 3/4/13

ग्रा0वि0-7(5)/इं0आ0यो0(प्रा0आ0)-23/05(खंड-1)

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय:- **इंदिरा आवास (प्राकृतिक आपदा 5%) योजनान्तर्गत प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बी.पी.एल. परिवारों के क्षतिग्रस्त/ध्वस्त आवास के पुनर्निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बी.पी.एल. परिवारों के क्षतिग्रस्त/ध्वस्त आवासों के पुनर्निर्माण हेतु इंदिरा आवास (प्राकृतिक आपदा 5%) के लिए कर्णांकित राशि से सहायता राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था काफी पूर्व (2004-05) से है । समय-समय पर प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किये गये हैं जिससे जिलों को अवगत कराया जाता रहा है । इस प्राथमिकता आधारित योजना के कार्यान्वयन की ओर समय-समय पर विभाग द्वारा निदेश भी दिये जाते रहे हैं ताकि पीड़ित परिवारों को ससमय राहत उपलब्ध कराया जा सके ।

प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि पूर्व में इसके अंतर्गत मात्र दंगा, खून-खराबा, आगजनी, आदि जैसे परिस्थितिविशेष से प्रभावित परिवारों को ही पुनर्वासित करने का प्रावधान था । बाद में भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र संख्या-J-12012/1/2006-RH दिनांक-17.02.10 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा अतिवृष्टि के दिन अथवा अतिवृष्टि के कारण से ध्वस्त आवासों के पुनर्निर्माण हेतु बी.पी.एल. परिवारों को सहायता राशि देने की व्यवस्था को भी शामिल किया गया । इसी प्रकार पूर्व में इसके लिए प्रति जिला 50.00 लाख रूपये एवं बाद में 70.00 लाख (अधिकतम जिला के एलोकेशन का 10%) राशि व्यय करने की सीमा निर्धारित की गयी थी वहीं इसमें संशोधन कर सम्प्रति जिला के एलोकेशन का 50% तक की राशि (जो राज्य के एलोकेशन के 10% के अंतर्गत होगा) निर्धारित है ।

किन्तु इस संबंध में बार-बार विभागीय निदेश एवं स्पष्ट प्रावधानों से अवगत रहने के बावजूद भी जिलों में अग्निपीड़ितों, दंगा तथा खून-खराबा जैसे मामलों में बी.पी.एल. परिवारों के क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराने की दिशा में गंभीरता पूर्वक कार्रवाई नहीं की जा रही है, फलस्वरूप प्रभावित परिवारों को सहायता राशि उपलब्ध नहीं कराये जाने की शिकायत आम नागरिकों एवं माननीय सदस्यों (सदन के माध्यम से भी) से लगातार सरकार के संज्ञान में लाया जा रहा है जो चिंता का विषय है ।

अत: अद्यतन मार्गदर्शिका की प्रति (जिसे भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के वेबसाईट www.rural.nic.in/www.iay.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है) पुन: संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इस अतिविशिष्ट से संबंधित मामले को संवेदनशीलता के साथ प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक प्रखण्ड में विशेष अभियान चलाकर अबतक के अग्निपीड़ितों, दंगा तथा खून-खराबा जैसे मामलों में लाभ पाने के लिए योग्य बी.पी.एल. परिवारों के क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण हेतु **दिनांक 30.04.2013** तक सहायता राशि उपलब्ध कराकर राशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

3.4.13

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के सचिव